



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052025-263482
CG-DL-E-30052025-263482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

आयकर

सा.का.नि. 356(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 06 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

- पृष्ठ संख्या 66 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद “ख4गक” में, कोष्ठक, आंकड़े और अक्षर “(4गक-खाivक)” के स्थान पर कोष्ठक, आंकड़े और अक्षर “(4क-खाivक)” अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
- पृष्ठ संख्या 89 पर, अनुसूची 80झड में, पंक्ति मद “कछ” के पश्चात, एक नई पंक्ति मद “कज” अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झड के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची-80-इड		धारा 80इड के अंतर्गत कटौतियाँ			
धारा 80इड के अंतर्गत कटौतियाँ	क	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रम की बाबत कटौतियाँ			
	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कख	अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कग	मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कङ	मेघालय	कङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कज2	उपक्रम संख्या.. 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कझ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कुल कटौतियाँ (कक 1 से कज 2 का योग)			
					कझ
	ख	धारा 80इड के अंतर्गत कुल कटौतियाँ (कझ)			
					ख

[अधिसूचना संख्या 53/2025/फा. सं. 370142/16/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव